न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

...ख्या :17 / 327

1. रामफूल आत्मज नारायण जाति मीना निवासी कोलाहेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. हरिराम आत्मज नारायण जाति मीना निवासी कोलाहेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. कालूलाल आत्मज नारायण जाति मीना निवासी कोलाहेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
4. शांतिलाल आत्मज नारायण जाति मीना निवासी कोलाहेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. हनुमान आत्मज नारायण जाति मीना निवासी कोलाहेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी।

––अपीलान्ट

बनाम

1. गेगराज आत्मज श्री कल्याण जाति मीना निवासी कोलाहेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. शोपाल आत्मज श्री कल्याण जाति मीना निवासी कोलाहेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. सत्यनारायण आत्मज श्री कल्याण जाति मीना निवासी कोलाहेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. महावीर आत्मज कल्याण जाति मीना निवासी कोलाहेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. यशोदा पुत्री गोपाल जाति मीना निवासी कोलाहेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. कल्याणी बेवा गोपाल जाति मीना निवासी कोलाहेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रूपेश कुमार श्रृंगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री भगवती बल्लभ शर्मा, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 23.01.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.06.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188, 92 ए के अन्तर्गत ग्राम कोलाहेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 772 रकबा 04 बिस्वा के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी पर जबरन कब्जा नहीं करे, न निर्माण कार्य करे और न ही किसी अन्य से करावे । दौराने वाद यदि प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर जबरन कब्जा

या जबरन निर्माण कर ले तो प्रतिवादीगण को बाडे से बेदखल किया जावे एवं निर्माण तुड़वाया जावे व वादीगण को वापस कब्जा दिलाया जावे ।

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.06.2017 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निर्णय एवं डिक्री पारित की ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.06.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे और उनकी सहमति के बिना लोक अदालत की भावना के विरूद्ध उक्त निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.06.2017 निरस्त फरमया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी में दर्ज है और वह उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हैं । रेस्पोडेन्ट के खातेदारी की भूमि पर अपीलान्ट जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । उक्त भूमि जो कि रेस्पोडेन्ट के खातेदारी की भूमि है जिस पर अपीलान्ट का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय अपीलान्ट को सूचित एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.06.2017 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अन्तर्गत धारा 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया । जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर प्रकरण को निर्णित करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह राज्य सरकार की लोक अदालत की भावना के विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं हैं और उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के सम्बन्धित है जिसका निर्णय गुणावगुण के आधार पर होना न्यायोचित प्रतीत होता है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायलाय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायाहित में उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 28.02.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों।

10. निर्णय आज दिनांक 23.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा